न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना जिला बालोतरा
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर0ए0एस0

राजस्व आवेदन संख्याः—123/2021

प्रार्थीः—

रामसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी देवलियारी तहसील समदडी जिला बालोतरा

विप्रार्थीः—

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

उपस्थितः—
श्री गजेसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी

—::आदेश::—

दिनांकः—15.07.2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131,136 के तहत विप्रार्थी तहसीलदार समदड़ी के विरूद्व पेश किया है, प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा देवलियाली तहसील समदडी में खसरा संख्या 403/100 रकबा 3.1484 हैक्टयर की आई हुई है, प्रार्थी के उक्त कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि के बदिशा पश्चिम में मौके पर कोई रास्ता विद्यमान न होते हुए राजस्व रेकर्ड नक्शा में शामलाती रास्ता तरमीम कर दर्शा दिया गया है जो शामलाती रास्ता प्रार्थी के खसरा संख्या 403/100 व खसरा संख्या 108 के मध्य दर्शाया हुआ है, जबकि मौके पर इन दोनो खसरान के मध्य वक्त सेटलमेन्ट से आज दिन तक कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। ग्राम देवलियाली के खसरा संख्या 100, 103, 107, 142, 143, 144, 145, 205/100 की भूमियों का प्रार्थी व अन्य सह खातेदारो के मध्य आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवाडा के नक्शा में खसरा संख्या 403/100 के बदिशा पश्चिम मे कोई रास्ता नहीं होना दर्शाया गया, बल्कि खसरा सख्या 410/107 रकबा 0.10 बीघा व खसरा संख्या 409/100 रकबा 0.14 बीघा भूमि शामलाती रास्ता भूमि सभी खातेदारो की सर्व सहमति से छोडा गया है जो मौके पर आज भी विद्यमान है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड में त्रुटि व अशुद्धि को शुद्ध करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच में तहसीलदार समदडी द्वारा प्रार्थी के खसरा संख्या 403/100 के पश्चिम दिशा में कोई रास्ता भूमि मौके पर मौजूद नहीं होना बताया है। उक्त [illegible]श राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण दुरूस्त हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार समदडी से मौका रिपोर्ट तलब की गई ।

तहसीलदार समदडी द्वारा पत्रांक भू.अ./2023/792 दिनांक 10.04.2023 व भू.अ./2024/986 दिनांक 15.07.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.10.17 13:51:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौरान बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर तरमीम दुरूस्त किये जाने हेतु सहमति जाहिर की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अध्ययन व मनन किया । तहसीलदार समदडी द्वारा प्रस्तुत फर्द दिनांक 29.03.2023 व 15.07.2024 का अध्ययन किया मौका फर्द दिनांक 29.03.2023 अनुसार ग्राम देवलियाली के मूल खसरा संख्या 100 के खातेदारो द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा किया गया था जिसकी तरमीम मौका फर्द के संलग्न परिशिष्ट 'डी' अनुसार करनी थी परन्तु सेग्रीगेशन के दौरान तहसील समदडी को ऑनलाईन करते समय मूल खसरा संख्या 100 की तरमीम विभाजन अनुसार नहीं की गई। खसरा संख्या 100 का ऑनलाईन तरमीम व लट्ठा ट्रेस की तरमीम में भिन्नता है। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित दिनांक 15.07.2024 की रिपोर्ट अनुसार उक्त तरमीम को दुरूस्त किया जाता है तो प्रभावित भूमि खसरा संख्या 409/100 रकबा 0.1133 हैक्टयर में समाविष्ट होगा जिससे किसी भी खसरे में कमी या वृद्धि नहीं होगी।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर तहसीलदार समदडी द्वारा भू.अ./2023/792 दिनांक 10.04.2023 द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के फर्द दिनांक 29.03.2023 संलग्न परिशिष्ट ''डी'' अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। फर्द दिनांक 29.03.2023 के संलग्न परिशिष्ट ''डी'' उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

आदेश आज दिनांक 15.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.10.17 13:51:06 IST
Reason: SelfAttested

आंशिक नक्शा मौजा :- देवलीयाली
तहसील - समदड़ी (बाड़मेर)
पैमाना - 1 इंच = 80 गट्ठा

पाठीशीट "D"

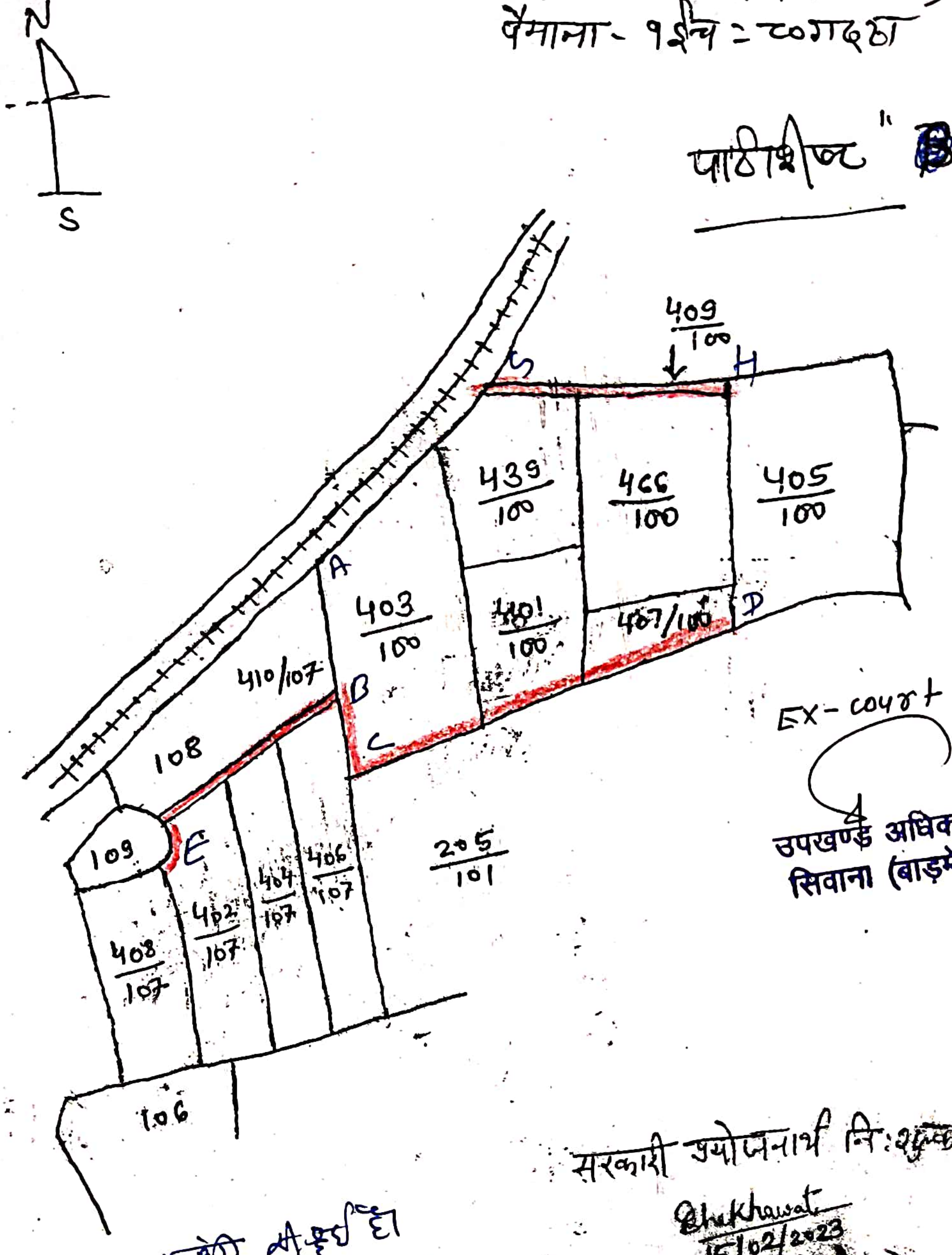

EX-court
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

सरकारी प्रयोजनार्थ नि:शुल्क जारी

Shekhawat
15/02/2023
पटवारी (प.अ.)
सिलोर

नोट:
1. बिंदु A का तरमीम अंकुई है।
2. बिंदु E B C D आनलाईन तरमीम है।
3. G H आनलाईन तरमीम करनी है
4. A B आनलाईन तरमीम करनी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.10.17 13:51:06 IST
Reason: SelfAttested